इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 मई 2018—वैशाख 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 मई 2018

क्र. 7714-134-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ९ सन् २०१८

मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ मई, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक १५ सन् १९८२ का अस्थाई रूप से संशोधित किया जाना. २. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन तथा धारा ४ तथा ५ में विनिर्दिष्ट विविध उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे.

भाग तीन का निरसन. ३. मूल अधिनियम में, भाग—तीन "वन विकास उपकर" में, धारा ६ तथा ७ को निरसित किया जाए.

व्यावृत्ति. ४. उपर्युक्त भाग के निरसन पर, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात क़ी विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति, या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति. ५. (१) इस अध्यादेश के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रवृत्त हेने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

भोपाल :
तारीख ५ मई, २०१८.

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 5 मई, 2018

क्र. 7714-134-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 9 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 9 of 2018

THE MADHYA PRADESH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2018

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th May, 2018.]

Promulgated by the Governor in the sixty-ninth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title. 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018.

Madhya Pradesh Act No. 15 of 1982 to be temporarily amended. 2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section 3 and miscellaneous provisions specified in sections 4 and 5.

Repeal of Part III. 3. In the principal Act, Part III "Forest Developments Cess" containing sections 6 and 7 shall be repealed.

Saving. 4. The repeal of the aforesaid part shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof or any past act or thing.

Power to remove difficulties. 5. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appear to it to be necessary or expendient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

BHOPAL :
DATED THE 5th May, 2018.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.